रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 145] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 28, 1989/आषाढ़ 6, 1911
No. 145] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 28, 1989/ASADHA 6, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1989

सं. आर एस. 46/89-टी.—राज्य सभा के सभापति द्वारा भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 6 (1) के अधीन दिया गया दिनांक 28 जुलाई, 1989, का निम्नलिखित निर्णय एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है :—

"जम्मू कश्मीर राज्य से राज्य सभा के लिए निर्वाचित सदस्य, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने दिनांक 10 मार्च, 1989 का एक पत्र मुझे संबोधित किया था जो निम्नलिखित रूप में पठित है :

"जैसा कि आपको विदित है, मैं 1986 में जम्मू और कश्मीर राज्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई) के एक उम्मीदवार के रूप में राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुआ था ।

तथापि, मैंने गत कई महीनों से उस दल से अपना राजनीतिक सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है और सदस्यता छोड़ दी है और मैं जनता दल का सदस्य बन गया हूं । मैं जनता दल के संसदीय बोर्ड का भी सदस्य हूं और सभा के बाहर उक्त दल के एक सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करता रहा हूं ।

मैं एतद्द्वारा सरकारी तौर पर यह सूचना आपको दे रहा हूं, जिससे कि आप इस मामले में जैसा उचित समझें, वैसी कार्यवाही कर सकें ।"

उक्त पत्र मैंने 28 मार्च, 1989 को कांग्रेस (आई) विधान मंडल पार्टी के नेता को सूचनार्थ भेजा था ।

राज्य सभा के सदस्य, श्री वी. नारायणसामी ने संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 6 और राज्य सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985 के नियम 6 के अधीन 28 अप्रैल, 1989 को मेरे समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की, जिसमें राज्य सभा के सभापति से प्रार्थना की गई है कि वह यह निर्णय दें कि भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन राज्य सभा के समद सदस्य मुफ्ती मोहम्मद सईद, निरर्ह हो गए हैं और राज्य सभा में उनके स्थान को भी रिक्त घोषित करें ।

मैंने 2 मई, 1989 को उक्त नियमों के नियम 7 (3) के अधीन याचिका की प्रतियां, उसके उपाबंध सहित, मुफ्ती मोहम्मद सईद तथा समद में कांग्रेस (आई) दल के नेता को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की थी कि वे इस याचिका पर अपनी टिप्पणियां उसके प्राप्त होने के सात दिन के भीतर भेज दें ।

मुझे 6 मई, 1989 को उनकी टिप्पणियों के रूप में मुफ्ती मोहम्मद सईद का एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें मुझे सूचित किया गया था कि

दिनांक 10 मार्च, 1989 के अपने पत्र में जो कुछ उन्होंने पहले उल्लेख किया है, उसके अतिरिक्त वह कुछ नहीं कहना चाहते हैं ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री एम. एम. जेकब ने, जिन्हें कांग्रेस (आई) विधायी दल के नेता द्वारा इन नियमों के प्रयोजनार्थ सभापति के साथ पत्र-व्यवहार करने के लिए प्राधिकृत किया गया था, दिनांक 9 मई, 1989 की अपनी टिप्पणियों के माध्यम से यह उल्लेख किया कि वह श्री वी. नारायणसामी की याचिका से पूर्णत सहमत हैं ।

उन्होंने आगे उल्लेख किया था कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने स्वयं स्वीकार किया है कि उन्होंने कांग्रेस (आई) पार्टी, जिसने उन्हें राज्य सभा के चुनाव में उम्मीदवार बनाया था, को छोड़ दिया है, और श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की यह स्वीकृति ही अपने आप में एक ऐसा निर्णायक सबूत है, जिससे वे दल बदल के आधार पर राज्य सभा के सदस्य के रूप में निरर्हित हो जाते हैं ।

याचिका के संबंध में मुफ्ती मोहम्मद सईद और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री एम० एम० जेकब की टिप्पणियों पर विचार करने के उपरान्त मुझे यह विश्वास हो गया है कि इस मामले के स्वरूप तथा परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि इस याचिका को राज्य सभा की विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाए और इसलिए मैंने प्रारम्भिक जांच करने और इस बारे में मुझे प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए 11 मई, 1989 को इस याचिका को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया ।

विशेषाधिकार समिति ने 10 जुलाई, 1989 को मुझे अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।

इस प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर मैंने इसकी एक प्रति मुफ्ती मोहम्मद सईद को भेजी और उनको 24 जुलाई, 1989 को अपने सम्मुख उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया, जिससे कि वह अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकें और व्यक्तिगत रूप से अपनी बात कह सकें । परन्तु वह निर्धारित तिथि तथा समय पर उपस्थित नहीं हुए ।

10 मार्च तथा 6 मई, 1989 के दो पत्रों में मुफ्ती मोहम्मद सईद के वक्तव्यों तथा विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए तथा भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के साथ पठित अनुच्छेद 102(2) के उपबन्धों के अनुसार मैं इस आदेश के माध्यम से एतद्द्वारा यह विनिश्चय करता हूं और घोषणा करता हूं कि :

"आदेश

भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के साथ पठित अनुच्छेद 102 (2) के अंतर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, शंकर दयाल शर्मा, सभापति, राज्य सभा एतद्द्वारा यह विनिश्चय करता हूं कि जम्मू और काश्मीर राज्य से राज्य सभा के लिए निर्वाचित सदस्य, मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिन्होंने मूल राजनीतिक दल कांग्रेस (ई) की अपनी सदस्यता स्वेच्छा से त्याग दी है, भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2 (1) (क) के अनुसार राज्य सभा के सदस्य के रूप में निरर्हित हो गए हैं ।

तदनुसार, मुफ्ती मोहम्मद सईद तात्कालिक प्रभाव से राज्य सभा के सदस्य नहीं रहे हैं । "

ह०/--

(शंकर दयाल शर्मा)

सभापति,

राज्य सभा । "

नई दिल्ली ;

28 जुलाई, 1989

सुदर्शन अग्रवाल, महासचिव ।

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 1989

NO. RS. 46|89-T.—The following decision dated the 28th July, 1989, of the Chairman, Rajya Sabha, given under paragraph 6 (1) of the Tenth Schedule to the Constitution of India is hereby notified :—

"Mufti Mohamad Sayeed, an elected Member of the Rajya Sabha from the State of Jammu and Kashmir, addressed me a letter dated March 10, 1989, which reads as follows :

> "As you are aware, I was elected to the Rajya Sabha as a candidate of the Indian National Congress (I) from the State of Jammu and Kashmir in 1986.
>
> However, I have severed my political link and affiliation with that party for the last several months, and I have become a member of the Janata Dal. I am also a member of the Parliamentary Board of the Janata Dal and have been functioning outside Parliament as an active member of that party.
>
> I am hereby officially conveying this information to you to enable you to take such action as you may deem fit in the matter."

The said letter was referred by me to the Leader of the Congress (I) Legislature Party for information on March 28, 1989.

Shri V. Narayanasamy, Member, Rajya Sabha, filed before me a petition on April 28, 1989, under paragraph 6 of the Tenth Schedule to the Constitution and rule 6 of the Members of Rajya Sabha (Disqualification on ground of Defection) Rules, 1985, praying that the Chairman, Rajya Sabha, be pleased to hold that Mufti Mohamad Sayeed, Member, Rajya Sabha, stands disqualified under the Tenth Schedule to the Constitution of India and also declare his seat in the Rajya Sabha vacant.

I forwarded copies of the petition and the annexure thereto to Mufti Mohamad Sayeed and the Leader of Congress (I) Party in Parliament, under rule 7 (3) of the said Rules, on May 2, 1989, requesting them to forward their comments on the petition to me within seven days from the receipt of the same.

I received a letter dated May 6, 1989, from Mufti Mohamad Sayeed by way of his comments informing me that he had nothing to add to what he had already written to me in his letter dated March 10, 1989.

Shri M. M. Jacob, Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs, who had been authorised by the Leader of Congress (I) Legislature Party for communicating with the Chairman for purposes of these rules, in his comments dated May 9, 1989, stated that he entirely agreed with the petition of Shri V. Narayanasamy. He further stated that Mufti Mohamad Sayeed had himself admitted that he had left the Congress (I) Party which set him up as a candidate for election to the Rajya Sabha and that this admission of Mufti Mohamad Sayeed itself was

conclusive proof of his incurring disqualification as a member of the Rajya Sabha on ground of defection.

After considering the comments of Mufti Mohamad Sayeed and Shri M. M. Jacob, Ministry of State in the Ministry of Parliamentary Affairs, in relation to the petition, I was satisfied, having regard to the nature and circumstances of the case that it was necessary to refer the petition to the Committee of Privileges of Rajya Sabha and I referred the petition to the Committee of Privileges on May 11, 1989 for making a preliminary inquiry and submitting a report to me.

The Committee of Privileges submitted its report to me on July 10, 1989.

On receipt of this report I forwarded a copy thereof to Mufti Mohamad Sayeed and gave him an opportunity to appear before me on July 24, 1989, to represent his case and to be heard in person but he did not appear on the scheduled date and time.

Taking into account the statements of Mufti Mohamad Sayeed in the two communications dated March 10 and May 6, 1989, and the report of the Committee of Privileges and in accordance with the provisions of article 102 (2) read with the Tenth Schedule to the Constitution of India, I hereby decide and declare by this order as follows :

"ORDER

In exercise of the powers conferred upon me under article 102(2) read with paragraph 6 of the Tenth Schedule to the Constitution of India, I, Shanker Dayal Sharma, Chairman, Rajya Sabha, hereby decide that Mufti Mohamad Sayeed, an elected member of the Rajya Sabha from the State of Jammu and Kashmir, by voluntarily giving up his membership of Congress (I) his original political party, has become subject to disqualification for being a member of the Rajya Sabha in terms of paragraph 2 (1) (a) of the Tenth Schedule to the Constitution of India.

Accordingly, Mufti Mohamad Sayeed has ceased to be a member of the Rajya Sabha with immediate effect."

New Delhi ;

July 28, 1989.

Sd/-

(SHANKER DAYAL SHARMA)
Chairman
Rajya Sabha"

SUDARSHAN AGARWAL, Secretary-General.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989